

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

मुकदमा
105/2019

किस्म मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक
27.09.19

निर्णय दिनांक
26.11.2019

उनवान सरकार बनाम ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल निवासी सिंघाना जिला झुन्झुनुं(राज0)

:- निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 बुहाना की ओर से तहसीलदार बुहाना को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि स्टेट हाइवे 13 स्थान सिंघाना में स्टेट हाइवे 13 व एन0एच 11 मार्ग पर सा0नि0वि0 की सीमा में अतिक्रमण ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल निवासी सिंघाना ने 5-10 मी0 की दूरी पर ठेले लगाकर (स्थाई रूप से) अतिक्रमण कर रखा है सहायक अभियन्ता ने भी यह अभिकथन किया है कि इन सभी ठेलों वालों का मौखिक रूप से अतिक्रमण हटाने को कहने के बाद भी आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

तहसीलदार बुहाना द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/1272 दिनांक 20.08.2019 को मुल प्रकरण नायब तहसीलदार सिंघाना को अतिक्रमीके विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु भिजवाया गया।

प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अतिक्रमी ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल निवासी सिंघाना को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट सहायक अभियन्ता सा0नि0 वि0 बुहाना तथा जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत विवादित अतिक्रमण की भूमि पर प्रभावहीन व सारहीन साबित होते हैं। अतः यह न्यायालय अतिक्रमी ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल निवासी सिंघाना ने एन. एच. 11 एवं सिंघाना सर्किल पर 5-10 मी0 की दूरी पर (स्थाई रूप से) ठेले का अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश दिए जाते हैं।

सहायक अभियन्ता सा0नि.वि0 बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर रहे।

57

उप तहसीलदार सिंघाना